



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला एवं बाल विकास विभाग)




क्रमांक-प.19(1)()निमअ/साथिन चयन/परिपत्र/2021/ 42957 जयपुर, दिनांक-6/12/22

परिपत्र

साथिन के चयन से संबंधित परिपत्र क्रमांक प.19 (1)()निमअ/साथिन चयन/परिपत्र/2021/38229 दिनांक 14.10.2022 में निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया जाता है-

1. बिन्दु संख्या-4 (xii) पर अंकित- उप/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि को ग्राम सभा के स्थाई एजेण्डा में शामिल करने हेतु पंचायत समिति में सम्बन्धित माह की ग्राम सभा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व के स्थान पर 07 कार्य दिवस में की जावेगी, पढ़ा जावे।
2. बिन्दु संख्या-4 (iv)(9) पर अंकित- चयन हेतु आवश्यक पत्र/पत्रावली संबंधित प्राधिकृत अधिकारी (विकास अधिकारी) को ग्राम सभा/बैठक हेतु भेजने के लिए निर्धारित ग्राम सभा/समिति की बैठक दिनांक के 7 से 15 दिवस पूर्व के स्थान पर 07 कार्य दिवस पढ़ा जावे।
3. परिशिष्ट -अ, साथिन पद हेतु आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या-15 (i) एवं संलग्न दस्तावेज सूची के बिन्दु संख्या -9 पर अंकित-में बीपीएल कार्ड के लिए केंद्र (भारत सरकार) सूची के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी सूची भी (दोनों में से कोई एक) मान्य होगी, पढ़ा जावे।



(पुष्पा सत्यानी)
आयुक्त

42958-430 महिला अधिकारिता

क्रमांक- प.19(1)()निमअ/साथिन चयन/परिपत्र/2021/ जयपुर, दिनांक- 6/12/22

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, गांधी नगर, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
7. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

D/Sathin/Letters-22 | ☎: 0141-2716452 | ✉: sathincell.we@rajasthan.gov.in | 📄:

<http://wcd.rajasthan.gov.in>